न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, सागर

22

निग -3726-I-16

चोबा उर्फ चन्दा पिता पंचा आदिवासी
निवासी ग्रामधमारी तह0 बीना जिला सागर म.प्र.

.. आवेदक/निगरानी कर्ता

।। बनाम ।।

म.प्र. शासन .. अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर सागर के न्यायालयीन आदेश क्र.36/A21/12-13 मे पारित आदेश दि0 04.01.2013 से परिवेदित होकर प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत विचारणं हेतु प्रस्तुत है :-

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है।

1- यहकि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि निगरानी कर्ता चोबा उर्फ चन्दा पिता पंचा आदिवासी निवासी ग्राम धमारी तह. बीना जिला सागर म.प्र. द्वारा एक आवेदनपत्र नायब तहसीलदार बीना वृत्त - भानगढ़ जिला सागर के समक्ष भूमि खसरा नं. 309/13 रकबा 1.61 हे0 भूमि स्थित ग्राम धमारी तह0बीना की विक्रय की अनुमति अपने बीमारी के इलाज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसपर पटवारी रिपोर्ट, आर.आई. प्रतिवेदन एवं तहसीलदार का प्रतिवेदन मंगाये जाने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी बीना के माध्यम से अग्रेषित कर अपर कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने हेतु भेजा गया, जिसपर अपर कलेक्टर सागर द्वारा आवेदक को सुनवाई की सूचना एवं सुने बगैर भूमि विक्रय अनुमति आवेदन पत्र एवं प्रकरण समाप्त किए जाने का आदेश पारित किया जिससे परिवेदित होकर आवेदक निम्नलिखित आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है।

...2

A.K. Pathak Ad
Sagar
M 9826847400

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक R 3726-PBR/16 निगरानी जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकरों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8.11.16	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक 36/अ–21/2012–13 आदेश दिनांक 04.01.2013 के विरूद्ध म.प्र. भू राज्य संहिता की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की है। 1. प्रकरण प्रस्तुत निगरानी कर्ता अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता उपस्थित उभय पक्ष द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन एवं ग्राहिता तक तर्क प्रस्तुत किये। 2. आवेदक ग्राहिता एवं धारा 5 पर म्याद अधिनियम पर तर्क है कि आवेदक अनपढ़ आदिवासी है जिसे अपर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण समाप्त करने के पूर्व समुचित सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और आवेदक द्वारा भूमि खसरा नं. 309/13 रकवा 1.61 हे. भूमि स्थित ग्राम चमारी तह. बीना जिला सागर की भूमि विक्रय अनुमति आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जिसकी जानकारी मुझ आवेदक को पटवारी के बताने पर दिनांक 24.09.2016 को प्राप्त हुई 26.09.2016 को आवेदक द्वारा आदेश की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया नकल प्राप्ति दिनांक 26.09.2016 से	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकरों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	निगरानी दिनांक तक समय सीमा के अन्दर है। पूर्व में आदेश की जानकारी होने में जो बिलंब हुआ है वह आवेदक के अनपढ़ होने एवं आदेश की जानकारी निश्चित समय पर प्राप्त न होने के कारण एवं अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा सुनवाई हुई नोटिस एवं समुचित सुनवाई के अभाव में जानकारी में विलंब हुआ है। विलंब क्षमा योग्य है। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी समय सीमा में मान्य कर सुनवाई नहीं की गई तो आवेदक न्याय से वंचित हो जायेगी और उसका जीवन संकटमय हो जायेगा। 3. आवेदक के उपरोक्त तर्को का शासन की ओर से नियुक्त अभिवक्ता द्वारा विरोध किया गया और निगरानी को समय वाह्य मानकर निरस्त करने का निवेदन किया उभय पक्षों के तर्को पर विचार कर विलंब के कारण समाधानप्रद होने से निगरानी को समय सीमा में मानकर सुनवाई में ग्राह्य किया जाता है। 4. आवेदक के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 309/13 रकवा 1.61 हे. स्थित ग्राम चमारी तह. बीना की भूमि का विक्रय की अनुमति बीमार रहने के कारण समुचित कर आवेदक अपना उचित इलाज करा सके। शेष बची हुई राशि	

R 3726-II/16 आगा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	से अपना भरण पोषण कर सके, भूमि विक्रय अनुमति दिये जाने हेतु नायब तहसीलदार वृत्त भानगढ़ एवं पटवारी हलका चमारी, राजस्व निरीक्षक तथा सरपंच ग्राम पंचायत चमारी के प्रस्ताव कमांक 23 संकल्प दिनांक 14.4.2011 द्वारा आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की थी फिर भी अपर कलेक्टर सागर द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं रिपोर्टो पर कोई ध्यान न देकर आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र निरस्त करने में घोर अनियमित आदेश पारित किया है जिससे आवेदक का जीवन संकटमय हो गया है ।	
	5. यह कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र विचारण द्वारा इलाज कराये जाने हेतु ग्रामवासियों को काफी कर्ज लेकर इलाज कराया है पुराना लिया गया कर्ज चुकता न किये जाने से आगे कर्ज इलाज हेतु नहीं मिल पा रहा है । यदि भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो विक्रय राशि से आवेदक कर्ज चुकाकर शेष राशि से अपना इलाज एवं भरण पोषण कर सकेगी साथ ही अपने जीवन की रक्षा कर सकेगी । उक्त स्थिति को देखते हुए भूमि विक्रय की अनुमत्ति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं विधि अनुकूल है ।	
	6. उभय पक्ष के अभिवक्ताओं को तर्को को सुनने के उपरांत एवं संलग्न रिकार्ड के अवलोकन से पाता हूँ	

R 3726-I/16 विरुद्ध म०प्र०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार भानगढ तहसील बीना के समक्ष प्रस्तुत किया था । नायब तहसीलदार भानगढ द्वारा पटवारी रिपोर्ट, आरआई प्रतिवेदन, उद्घोषणा जारी की गई जिसमें पटवारी हलका चमारी द्वारा दिनांक 4.9.2008 को एवं ग्राम पंचायत चमारी का संकल्प दिनांक 14.4.2011 लेकर नायब तहसीलदार भानगढ द्वारा आवेदक के कथन दिनांक 9.2.2012 को लेकर, वर्तमान गाईड लाईन के आधार पर आवेदक को प्राप्त होने वाली राशि का सत्यापन कर विधिवत आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा स्पष्ट रूप से करते हुए अनुविभागीय अधिकारी बीना को अग्रेषित की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी बीना द्वारा भी अनुशंसा सहित प्रकरण अपर कलेक्टर सागर को अग्रेषित किया था । जिस पर विचार कर आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान करना चाहिए थी । अपर कलेक्टर सागर द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों एवं अनुशंसाओं की अनदेखी कर भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र आदेश दिनांक 4.1.2013 द्वारा निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है ।	
	7. निगरानीकर्ता के तर्को एवं रिकार्ड के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर सागर	

R3726-I/16 विक्रय अनुमति

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकरों तथा अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	का प्रकरण क्र. 36/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2013 निरस्त किया जाता है आवेदक को भूमि खसरा नं. 309/13 रकवा 1.61 हे. भूमि स्थित ग्राम चमारी तह. बीना जिला सागर की भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है साथ ही उपपंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि बैनामा पंजीयन के समय यह सुनिश्चित करके कि विक्रेता को विक्रय धनराशि वर्तमान गाईड लाईन के हिसाब से प्राप्त हो गई है। संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित किया जावे। तहसीलदार बीना विक्रय पत्र संपादित होने पर क्रेता के नाम नामांतरण स्वीकृत करें। सदस्य	